पत्रांक–03 / AMRUT-03-01/2016 / न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एंव आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले0एवं ह0) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक–

विषय:– **केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना के अधीन SAAP-I, SAAP-II एवं SAAP-III के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु भिन्न–भिन्न स्वीकृत्यादेश से निकासी की गई राशि का उपयोग समेकित रूप से AMRUT योजना के SAAP-I, II एवं III के अधीन स्वीकृत किसी भी SAAP की योजना के कार्यान्वयन पर व्यय करने की स्वीकृत।**

आदेश– **स्वीकृत।**

केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना के अधीन SAAP-I, SAAP-II, एवं SAAP-III की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत प्रथम किस्त केन्द्रांश की राशि एवं प्रथम किस्त राज्यांश की राशि की विवरणी निम्नवत है:–

(राशि लाख रू में)

क्र सं	SAAP	स्वीकृत्यादेश संख्या	दिनांक	केन्द्रांश की राशि	राज्यांश की राशि
1	2	3	4	5	6
01	SAAP-I	86	18.01.2016	6642.00	0.00
02	SAAP-I	114	01.03.2016	0.00	3985.20
03	SAAP-II	160	30.09.2016	7752.00	0.00
04	SAAP-II	159	30.09.2016	0.00	4651.20
05	SAAP-III	13	08.06.2017	8902.00	0.00
06	SAAP-III	14	08.06.2017	0.00	5652.80
			कुल	**23296.00**	**14289.20**

2. भारत सरकार द्वारा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से AMRUT योजना की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि SAAP-I, SAAP-II एवं SAAP-III की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विमुक्त कुल राशि व्यय होने के बाद ही सभी योजनाओं के लिए एक मुस्त द्वितीय किस्त की राशि विमुक्त की जाएगी। भारत सरकार द्वारा यह भी निदेश दिया गया है कि जिन योजनाओं की कार्य प्रगति पर है, उसे पूर्ण कराया जाय तथा इन योजनाओं पर किसी भी SAAP की स्वीकृत राशि व्यय किया जा सकता है। किसी कारण से स्थगित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध राशि को अवरुद्ध नहीं रखा जाय।

3. उक्त के आलोक में केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना के अधीन SAAP-I, SAAP-II एवं SAAP-III के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु भिन्न–भिन्न स्वीकृत्यादेश से निकासी की गई राशि का उपयोग समेकित रूप से AMRUT योजना के SAAP-I, II एवं III के अधीन स्वीकृत किसी भी SAAP की योजना के कार्यान्वयन पर व्यय करने की स्वीकृत प्रदान की जाती है।

4. तदनुसार योजना पर व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, वित्त विभाग, बिहार एवं महालेखाकर, बिहार को भेजा जायेगा।

5. प्रस्ताव एवं प्रारूप में सक्षम प्राधिकार विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका के पृ0–114 / टि0 पर दिनांक–08.03.18 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0 / –
(जय प्रकाश मंडल),
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–03 / AMRUT-03-01/2016 दिनांक–

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–03 / AMRUT-03-01/2016 134 दिनांक– 09/03/18

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग (बजट शाखा) / योजना एवं विकास विभाग / मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव / उप निदेशक, बुडा / लेखापाल, बुडा / अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना / लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में) / प्रशाखा–2(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग / संयुक्त सचिव(AMRUT) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार / विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु / सभी AMRUT नगर निकाय, बिहार / प्रबंध निदेशक, BUIDCO/ प्रबंध निदेशक, BRJP/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8.3.18

सरकार के विशेष सचिव।